6.00 P.M.

[श्री राजमणि पटेल]

मैं भारत सरकार, विशेषकर प्रधान मंत्री जी एवं गृह मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि जातिगत जनगणना एडिशनल कॉलम आफ कास्ट को, सेन्सस फार्मेट में जोड़ा जाए तथा जनगणना का कार्य रजिस्ट्रार जनरल और भारत के जनगणना आयुक्त, गृह मंत्रालय द्वारा कराया जाए।

SHRI B.K. HARIPRASAD (Karnataka): Sir, I would like to associate myself with the Special Mention made by the hon. Member.

श्री उपसभापति: राजमणि पटेल जी, धन्यवाद। मैं माननीय राम नाथ ठाकुर जी को आमंत्रित करूँ, इसके पहले मैं बताना चाहता हूँ कि 6 बज चुके हैं। मैं मानता हूँ कि इस पर हाउस की सहमति है कि हम स्पेशल मेंशंस होने तक बैठें।

कुछ माननीय सदस्य: जी हाँ।

Demand for modifications in the Ayushman Bharat Scheme

श्री राम नाथ ठाकुर (बिहार): उपसभापति महोदय, 'आयुष्मान भारत योजना' भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है, जिसका लक्ष्य दुर्बल आय वर्ग के लोगों को गम्भीर बीमारियों के उपचार के लिए पाँच लाख तक वित्तीय सहायता प्रदान करना है। इस योजना के लागू होने के बाद गरीबी रेखा से नीचे वाले लोगों को यह उम्मीद हुई कि अब उन्हें गम्भीर बीमारियों के इलाज के लिए अपना घर-बार नहीं बेचना पड़ेगा और सरकार उनके इलाज का बोझ वहन करेगी। इस योजना का फायदा भी हुआ है। सरकारी आँकड़े यह बताते हैं कि करोड़ों लोगों ने इस योजना का लाभ लिया है तथा गम्भीर बीमारियों का इलाज कराया है। लेकिन इसमें एक कमी है, जो गम्भीर है और सरकार को उसे दूर करना चाहिए। यदि किसी बीमारी में इलाज के खर्च की सीमा पाँच लाख तक है, तब तो रोगी इस योजना के तहत इलाज करा सकता है, लेकिन यदि डॉक्टर या अस्पताल ने पाँच लाख रुपए से अधिक का प्राक्कलन बना दिया, तो रोगी इस योजना के तहत इलाज नहीं करा सकता है। उसे सरकार की दूसरी योजना, 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' के तहत भी लाभ नहीं मिल सकता है, क्योंकि उसके पास आयुष्मान भारत कार्ड है। हम सभी जानते हैं कि कैंसर जैसी कई अन्य बीमारियों में इलाज का खर्च काफी ज्यादा होता है। अत: इसका इलाज 'आयुष्मान भारत योजना' में तकनीकी कारणों से नहीं हो सकता है।

मैं लोक हित में सरकार से यह माँग करता हूँ कि कृपया इस विसंगति को दूर किया जाए तथा यदि इलाज का खर्च पाँच लाख से अधिक आता है, तो 'राष्ट्रीय आरोग्य निधि' से शेष राशि उपलब्ध कराई जाए।

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Shri P.L. Punia; not present. Shri Husain Dalwai.